

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 68/2020

अनवान

1. श्रीमति हसमत बैगम पत्नी श्री अली मोहम्मद मुसलमान निवासी चितौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. मदन लाल पुत्र श्री भैरू लाल शर्मा नि. कविनगर हमीरगढ तह हमीरगढ।
2. श्री शरीफ मोहम्मद पुत्र कमरुद्दीन मुसलमान नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
3. सददाम हुसैन पुत्र श्री कमरुद्दीन मुसलमान नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
4. लतीफ पुत्र श्री ईस्माईल मुसलमान नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
5. अब्दुल पुत्र श्री ईस्माईल मुसलमान नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
6. हकीम पुत्र श्री ईस्माईल मुसलमान नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
7. श्रीमति दुर्गा देवी पत्नि बालू लाल कोगटा नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
8. सोनु पत्नी श्री मनीष कोगटा नि. नई आबादी तह. हमीरगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 19-01-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1807 की कृषि भूमि की आ.न. 2053 रकबा 0.1517 है0, आ.न. 2054 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 2055 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 2056 रकबा 0.1770, कुल किता 04 रकबा 0.5058 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 व 3 एवं 5 से 8 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 04 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

::आदेशः:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1807 की कृषि भूमि की आ.न. 2053 रकबा 0.1517 है0, आ.न. 2054 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 2055 रकबा 0.0506 है0, आ.न. 2056 रकबा 0.1770, कुल किता 04 रकबा 0.5058 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण न्यायल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाडा